

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 268761

दिनांक :- 12/04/2016

ग्रा0वि0-3/स्था0-1-41/15

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर ।

विषय :- ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के वेतन भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 123/विकास, दिनांक 08.03.2016 के प्रसंग में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-216822 दिनांक 19.01.15 द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में पूर्व से अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में हैं, को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जा चुका है। वित्त (व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 331(22) दिनांक 15.02.16 द्वारा ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के वेतन पूर्जा निर्गत करने के निमित्त कतिपय अभिलेखों सहित दावा प्रस्तुत करने का अनुरोध ग्रामीण विकास पदाधिकारियों से किया गया है, जिसकी सूचना विभागीय ज्ञापांक 263659 दिनांक 27.02.2016 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त एवं सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जा चुकी है ।

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-172234 दिनांक 26.12.13 द्वारा नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान (विकलन) गैर योजना बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड एन0- 2515001020001 एवं मांग संख्या-42) से किये जाने का अनुदेश निर्गत है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 268761

दिनांक:- 12/04/2016

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/सभी ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार एवं श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव